सं0-3660ए/14-2-2014-77 जी 2013

प्रेषक,

सुनील पाण्डेय,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0, शासन, लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषय:- फारेस्ट कन्जरवेशन (सेकेण्ड अमेण्डमेण्ट) रूल्स 2014 के 4-ए(3) में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत Regional Empowered Committee की बैठक हेतु राजस्व विभाग के अधिकारी को नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक अधिकारी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के पत्र दिनांक 16.10.2014 की संलग्नको सहित छायाप्रतियां प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फारेस्ट कन्जरवेशन (सेकेण्ड अमेण्डमेण्ट) रूल्स 2014 के 4-ए(3) में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत Regional Empowered Committee की बैठक में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के एक-एक अधिकारी को विशेष आमंत्री (Special Invitee) के रूपा में प्रतिभाग किया जाना।

अत: अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में राजस्व विभाग के अधिकारी को नामित किये जाने की कार्यवाही कृपया सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से वन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra